

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि० प्रधान कार्यालय, लखनऊ

परिपत्र सं० सी-३५

/ग्रे०सेल एवं बीमा/2019-20

दिनांक 13-08-2019

समस्त शाखा/वरिष्ठ प्रबन्धक
उ०प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०
उत्तर प्रदेश

प्रधान कार्यालय के परिपत्र संख्या सी-75/ग्रे०सेल एवं बीमा/2018-19 दिनांक 27.11.2018 द्वारा आपको सूचित किया गया था कि The payment of Gratuity Act 1972 "1972 का 39" की धारा 4 की उपधारा 3 के द्वारा अधिनियम के अधीन इस बैंक में कार्यरत त्यागपत्रित, सेवानिवृत्त/मृतक कर्मियों को ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा मु० 10.00 लाख (दस लाख) से बढ़ाकर मु० 20.00 लाख रुपये (बीस लाख) दिनांक 29.03.2018 से भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई थी किन्तु बैंक की वर्तमान आर्थिक स्थिति के दृष्टिगत दिनांक 09.07.2019 को सम्पन्न बैंक प्रबन्ध समिति की बैठक के प्रस्ताव संख्या 08 द्वारा बैंक में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को रू० 20.00 लाख की अधिकतम सीमा तक ग्रेच्युटी भुगतान बैंक की आर्थिक स्थिति के सुदृढ़ होने तक स्थगित कर दिया गया है। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने पर ग्रेच्युटी भुगतान की अधिकतम सीमा रू० 20.00 लाख करने हेतु पुनर्विचार किया जायेगा, तब तक पूर्व की भांति रू० 10.00 लाख (दस लाख) की सीमा तक ग्रेच्युटी भुगतान करते रहने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

कृपया उपर्युक्त संशोधन से समस्त कर्मचारियों/अधिकारियों को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

(अन्द्रा वामसी) आई०ए०एस०
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. उप महाप्रबन्धक (प्रशि०), उ०प्र०सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ।
2. समस्त अधिकारीगण, उ०प्र०सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।
3. समस्त अनुभाग अधिकारी/प्रभारी, उ०प्र०सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।
4. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ०प्र०सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, उत्तर प्रदेश।
5. प्रबन्धक (आई०टी०सेल), उ०प्र०सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, प्रधान कार्यालय को इस निर्देश के साथ कि वह समस्त शाखाओं को ई-मेल कराना सुनिश्चित करें।
6. मण्डलीय प्रबन्धक, भारतीय जीवन बीमा निगम, मण्डलीय कार्यालय, हजरतगंज, लखनऊ।

13/8/19
(अजय पाल सिंह)
महाप्रबन्धक (ग्रेच्युटी)